10. सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम एवं लेवल–द्वितीय संविदा भर्ती, 2022 के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम एवं सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं:–

10.1 सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम हेतु शैक्षिक/प्रशैक्षिक/रीट अर्हताएं:–

(A) शैक्षिक अर्हता :–

न्यूनतम 50% अंकों सहित उमावि/समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण।

(B) प्रशैक्षिक अर्हता :– Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) उत्तीर्ण।

(C) रीट अर्हता :–

न्यूनतम अंकों के साथ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (लेवल–प्रथम) 2021/2022 उत्तीर्ण।

10.2 सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) हेतु शैक्षिक/प्रशैक्षिक/रीट अर्हताएं:–

(A) शैक्षिक अर्हता :–

न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित/अंग्रेजी (संबंधित पद हेतु) वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक।

(B) प्रशैक्षिक अर्हता :– Bachelor of Education (B.Ed.)/Diploma in Elementary Education (D.el.ed.)

(C) रीट अर्हता :–

न्यूनतम अंकों के साथ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (लेवल–द्वितीय) 2022 संबंधित विषय सहित उत्तीर्ण।

10.3 सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम एवं लेवल–द्वितीय के पदों हेतु प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (D.EL.ED.) अथवा शिक्षा में स्नातक (B.Ed.), सामान्य शिक्षा में (जो भी लागू हो) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/बी.एड. पाठ्यक्रम मान्य होगा।

10.4 सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम एवं सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मापदण्डों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /सहरिया एवं विशेष योग्यजन वर्ग एवं सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए **निर्धारित अर्हक अंकों में नियमानुसार 5 प्रतिशत अंक की छूट देय होगी।**

10.5 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अन्तिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताऐं (शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि) अर्जित करना अनिवार्य है। **आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होगें।**

11. नियुक्ति हेतु निरर्हता :–

i. राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसके 01.06.2002 को या इसके पश्चात् दो से अधिक संतानें है, परन्तु दो से अधिक संतानों वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्रहित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या, जो 01.06.2002 को थी, में वृद्धि न हो, परन्तु यह और कि जहॉ किसी अभ्यर्थी के पूर्व के प्रसव से एक संतान हो किन्तु किसी पश्चात्वर्ती एकल प्रसव से एकाधिक संतानें जन्म ले लें तो संतानों की कुल संख्या गिनते समय इस प्रकार जन्मी संतानें एक समझी जायेगी। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

ii. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियॉ हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दे।

iii. कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी, जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दे।

iv. **यदि अभ्यर्थी:–(a)** अच्छे चरित्र का नहीं है, या **(b)** किसी भी अन्य पंचायती राज संस्था या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारण या राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा से अपचार के कारण पदच्युत किया गया है, या **(c)** किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या **(d)** किसी पंचायतीराज संस्था या किसी नगरपालिका का सदस्य है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

v. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि [illegible]